सं०ओ० वि०/अम्बाला/152-85/4619.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, 2. जनरल, मैनेजर हरियाणा रोडवेज, कैथल, के श्रमिक श्री भैया राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं-3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री भैया राम, सुपुत्र श्री नराता राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

सं०ओ० वि०/पानी/108-85/4626.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. हरियाणा स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, चण्डीगढ़, 2. महा प्रबन्धक, हरियाणा इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, पानीपत के श्रमिक श्री विजेन्द्र चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री विजेन्द्र चन्द की सैसेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

सं०ओ०वि०/अम्बाला/190-85/4633.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मारकंडा वनस्पति मिल लि०, शाहबाद मारकंडा के श्रमिक श्री बलदेव राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बलदेव राज, सुपुत्र पहलो राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है।

श्रम विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 31 जनवरी, 1986/3 फरवरी, 1986

सं०ओ० वि०/एफ०डी०/44-85/4831.—हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक ओ०वि०/44-85/18164, दिनांक 24 अप्रैल, 1985 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका, दिनांक 21 मई, 1985, पृष्ठ 1351 पर छपा है में शब्द "असीम इन्टर प्राईजिज" के स्थान पर शब्द "एस०एम० इन्टर प्राईजिज" पढ़ा जाये।